2012/00019
09/2012

A 6/1

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 09/2012

प्रार्थीगण
जोधदान पुत्र देवीदान जाति चारण निवासी कसूम्बला भाटियान तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
1. ग्राम पंचायत कसूम्बला भाटियान द्वारा सरपंच
2. श्री रामदेव बाबा मन्दिर के पास विस्तार निर्माण समिति जरिये राणामल लोढा, निवासी बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 01 दिनांक 5.9.2007 जो ग्राम पंचायत कसूम्बला भाटियान द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्री रामदेव बाबा मंदिर के पास विस्तार निर्माण समिति के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।
2. प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक 30.6.2016

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कसूम्बला भाटियान द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 01 दिनांक 5.9.2007 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत कसूम्बला भाटियान द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्री बाबा रामदेव मन्दिर के पास विस्तर निर्माण समिति जरिये राणामल के पक्ष पट्टा संख्या 01 दिनांक 5.9.2007 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 (1) के अन्तर्गत नियम विरूद्व निःशुल्क जारी किया गया है। उक्त भूमि का अनाधिकृत उपयोग राणामल द्वारा अपने निजी लाभ के लिये किया जा रहा है। इसलिए अपार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जावें।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6/2

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत कसूम्बला भाटियान से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट गिड़ा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रहे।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 02 का यह कथन हैं कि श्री बाबा रामेदव मंदिर निर्माण समिति कसूम्बला भाटियान, रजिस्टर्ड संस्थान है। ग्राम पंचायत कसूम्बला भाटियान द्वारा संस्थान को नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा विलेख तत्कालीन उप पंजीयक गिड़ा द्वारा पंजीबद्व किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियमों में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता, शुद्वता एवं औचित्यता का मूल रिकार्ड से पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। इस संबंध में ग्राम पंचायत से रिकार्ड तलब करने पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव कसूम्बला भाटियान ने ग्राम पंचायत की पट्टा बुक, मिसल इत्यादि रिकार्ड पूर्व सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा उसे चार्ज में नहीं देना एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख पर दिनांक 18.9.2009 को विक्रय पत्र का निष्पादन कर उप पंजीयक कार्यालय गिड़ा में पंजीयन करवा दिया है, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 को इस पट्टा की भूमि पर स्वामित्व हासिल हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर

निर्णय कोर्ट केम्प गिड़ा में आज दिनांक 30.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)